संचिका सं0–07/बजट–46–10/2025 – 78 (7)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 12/06/2025

विषय:– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत कार्यरत संविदा पर 08 चिकित्सकों/विभिन्न प्रकार के कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान करने हेतु राज्याश मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रु० 32,00,000/–(रुपये बत्तीस लाख) मात्र की व्यय की स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–86(12), दिनांक–03.02.2016 एवं विभागीय आदेश संख्या–545(12), दिनांक–22.06.2018 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत 08 चिकित्सकों/ अन्य विभिन्न प्रकार के कर्मियों के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान राशि (प्रति आश्रित रु0 4.00 लाख) के भुगतान करने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य के 08 जिलों से आश्रितों की संग्रहित की गयी संख्या (सूची संलग्न) के आधार पर राज्याश मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रु० 32,00,000/–(रुपये बत्तीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– राज्याश मद की उक्त राशि की निकासी अधोलिखित उपशीर्ष अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:–

(i) माग संख्या–20 के मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएं, उपशीर्ष– 0309–एन0आर0एच0एम0 सहित अर्बन स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड–20-2210012000309, पी0एफ0एम0एस0 कोड–4063, विषय शीर्ष–37 01–अनुग्रह अनुदान मद मे उपबंधित राशि रु० 10,00,00,000/– (रुपये दस करोड) मात्र मे से कुल रु० 32,00,000/–(रुपये बत्तीस लाख) मात्र विकलनीय होगी।

3– इस राशि की निकासी अवर सचिव–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

4– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना संलग्न सूची के अनुरूप लाभूकों को वितरित की गयी अनुग्रह अनुदान की राशि की निकासी कर संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगे। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार द्वारा व्यय की गयी राशि का अनुश्रवण राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जाएगा।

5– अरौनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम–341 के अनुरूप अकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

6– प्रस्ताव एव प्रारूप मे अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7– प्रारूप मे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

9– राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–07/बजट–46–10/2025 – 78 (7) स्वा0, पटना, दिनांक–12/06/2025

प्रतिलिपि– सचिव, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सबधित प्रमडलीय आयुक्त, बिहार/कार्यपालक निदेशक एव सबधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/सबधित जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार/ सबधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि–माननीय स्वास्थ्य मत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–16 तथा आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव।

वित्तीय वर्ष 2025–26 मे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत सविदा पर कार्यरत चिकित्सको एव अन्य कर्मियो के सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उनके निकटतम आश्रितो को अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु विभिन्न सिविल सर्जन कार्यालयो द्वारा उपलब्ध करायी गयी बैक खातो की सूचना के अनुसार कुल आवटित की जाने वाली राशि एव बैक खाता विवरणी –

(राशि रुपये मे)

क्र० स०	स्वास्थ्य इकाई का नाम	मृतक कर्मी का नाम	पदनाम एव पदस्थापन सस्थाए/ कार्यालय	खाताधारक का नाम	बैंक खाता स०	आई०एफ०एस० कोड	कुल आवटन
1	सिविल सर्जन -खगडिया	स्व0 रीना कुमारी	ए०एन०एम० स्वास्थ्य उपकेन्द्र वकहुसैनी, मानसी खगडिया	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगडिया	11068089242	SBIN0000114	4,00,000
2	सिविल सर्जन कैमूर	स्व0 रोहित प्रकाश	आई०डी०एस०पी०, जिला डाटा प्रबधक, कैमूर	असैनिक शल्य चिकित्सक -सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कैमूर	11051469503	SBIN0001099	4,00,000
3	सिविल सर्जन मधुबनी	स्व0 सगीता कुमारी	ए०एन०एम०, पी०एच०सी०, जयनगर, मधुबनी	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी	11302455762	SBIN0000127	4,00,000
4	सिविल सर्जन– भोजपुर	स्व0 डॉ0 सतोष कुमार राय	आयुष चिकित्सक, आर०बी०एस०के०, पी०एच०सी०, वरपोखरी, भोजपुर	असैनिक शल्य चिकित्सक- सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर	30147679127	SBIN0000010	4,00,000
5	सिविल सर्जन–पूर्णियॉ	स्व0 डॉ0 ममतेश कुमार	आयुष चिकित्सक, ए०पी०एच०सी०, कटोरहाट, बैसा, पूर्णिया	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णिया	10954136578	SBIN0000159	4,00,000
6	सिविल सर्जन- समस्तीपुर	स्व0 रामलक्ष्मण दास	बी०सी०एम०, सी०एच०सी०, उजियारपुर, समस्तीपुर	असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर	31176641998	SBIN0000174	4,00,000
7	सिविल सर्जन, बाका	स्व0 सजय कुमार सिह	बी०एच०एम०, रेफरल अस्पताल बौसी, बाका	असैनिक शल्य चिकित्सक- सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बाका	11477133210	SBIN0000243	4,00,000
8	सिविल सर्जन, शेखपुरा	स्व0 विनोद लाल चन्द्रा	आयुष चिकित्सक, आर०बी०एस०के०, पी०एच०सी०, चेबारा, शेखपुरा	असैनिक शल्य चिकित्सक- सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, शेखपुरा	35806890328	SBIN0003002	4,00,000
				कुल योग			32,00,000

48 (7)
12/06/2025

(रुपये बत्तीस लाख मात्र)

सरकार के अपर सचिव